पेश करनेवाले की तरफ से वापस की जायगी और इसी जगह चिपका दी जायगी।

SP

243691 नम्बर १ सन् १९ के लिये।

सिलसिलेवार 2282

नम्बर दस्तावेज 2400

नम्बर वही 1

वसूल पाई .... से

दस्तावेज लिखी .... ने

.... के नाम

वसूली फीस दफे जायद फीस दफे

तारीख जिसकी दस्तावेज वापस किये जाने के लिये तैयार रहेगा। 10-11-2003

यह रसीद पेश करने पर दस्तावेज वापस किया जायगा।

दस्तावेज (वसीयत नामा के अलावे) जो किसी रजिस्ट्री ओफिस में दो वर्ष की मुद्दत से ज्यादा पड़ा रहे और उसका कोई दावेदार नहीं हो तो आईन की रू से नुकसान कर दिया जाना-चाहिए।

तारीख 10-11-98

सब रजिस्ट्रार

इस पीठ पर लिखा के और दस्तखत करा के ....

को दिया जाय। दस्तावेज जिसको तफसील दूसरी तरफ लिखी गयी है वसूल पाया।

तारीख पाने वाले का दस्तखत....

यह फीस जो उस दस्तावेज की निसबत ली गई कि जिसकी तफसली इसमे लिखी हुई है, अगर उसकी रजिस्ट्री करने से इन्कार किया जाय या उसकी निसबत कुछ ज्यादा फीस ले ली गई हो लोटा दी जायेगी और अगर किसी कमीशन या मुलाहजे के लिये खर्चा दे दिया गया हो और यह दोनों बातें न की गई हों तो हर-हालत में फरीकेन को इस रसीद के जरिये से अपना रूपया वापस लेना चाहिये।

अगर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हो जाने या रजिट्री से इन्कार करने के बाद एक महीने से ज्यादा गुजर जाय और तब उसकी वापसी के लिये दरखास्त दी जाय तो दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हो जाने या रजिस्ट्री से इन्कार करने के बाद, जैसी हालत हो पहले महीने के बाद से हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिये हर ऐसे दस्तावेज पर पाँच रुपए फीस ली जायगी।

मगर शर्त यह है कि किसी भी हालत में ऐसी फीस की रकम एक सौ रुपये से ज्यादा न होगी।

Scanned By KagazScanner